भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : rocz.lko-mef@nic.in, goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 : 8बी / यू0पी0 / 06 / 173 / 2023 / एफ.सी. दिनांक : 13.11.2023

सेवा में,

अति0 मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Others/30840/2017

विषयः- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex. Post facto Approval) के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में दिल्ली-कानपुर मार्ग (एन0एच0- 91) के किमी0 60 चैनेज 59.180 की दांयी पटरी के किनारे ग्राम लालपुर के खसरा संख्या-165 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1689245 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पालन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः- सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ का पत्रांक 2131/81-2-2023-800(131)/2023 दिनांक - 17.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके-

1. State government will initiate disciplinary action against the concerned official for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India.
2. If the permission for use of forest land for non-forestry purposes has been granted by a State Authority then a report with full details of violation, authority responsible for violation etc. shall be submitted by the State Government on the recommendation of the Forest Department so as to initiate action under section 3A and/or 3B of FC Act, as may be applicable.
3. The State Govt. should also inform about the action taken under IFA,1927.
4. Positional error has been found in the area proposed for diversion. The Geo-referenced map/ KML file needs to be rectified.
5. CA land has been proposed on both sides of the Road (Linear). CA land needs to be proposed in the forest Block. Accordingly, revised CA scheme and all related documents for plantation of 338 saplings over an area of 0.338 ha. @ 1000plants/ha. shall be submitted and uploaded on PARIVESH portal.
6. NPV and Penal NPV calculation needs to be submitted online as per orders dated 06.01.2022 & 19.01.2022.
7. FRA certificate need to be submitted online on portal.

भवदीय,

(डॉ0 प्रणय मिश्रा)
सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

2- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बुलन्दशहर ।

3- मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्ध हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि० आगरा।

4- पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।

(डॉ0 प्रणय मिश्रा)
सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)